

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 13 /03 /2020

क्रमांक /756 /4208 /2019 /1 /59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 09.01.2020 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	नाम/पदनाम/जिला	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1	डॉ० व्ही.के.द्विवेदी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.04.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
2	डॉ० एम.पी. जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला टीकमगढ़ (सेवानिवृत्त 31.08.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2010
3	डॉ० एम.के. बुखारिया, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला टीकमगढ़ (सेवानिवृत्त 31.07.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
4	डॉ० जे.डी. जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला टीकमगढ़ (सेवानिवृत्त 31.01.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2009

5	डॉ० आशाराम अहिरवार, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला टीकमगढ (सेवानिवृत्त 31.05.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2008
6	डॉ० आर.एस. बुंदेला, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला टीकमगढ / इंदौर (सेवानिवृत्त 31.03.2016)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
7	डॉ० एस.सी. जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.01.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2009
8	डॉ० विनोद कुमार सक्सेना, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला सागर (सेवानिवृत्त 31.03.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
9	डॉ० अनिल कुमार अग्रवाल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.03.2017)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2009
10	डॉ० अनीता श्रीवास्तव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2016)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
11	डॉ० सी.एस. पाठक, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2016)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2016
12	डॉ० सी.के. त्रिपाठी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.07.2016)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006

13	डॉ० भारती दुबे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
		(तृतीय नवीन) 23.06.2017 (37400-67000+8700)	23.06.2017
14	डॉ० कैलाश चन्द्र नूना, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला टीकमगढ़ (सेवानिवृत्त 30.11.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2009
15	डॉ० एम.एम. दीक्षित, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.12.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 28.01.2007 (15600-39100+7600)	01.04.2009
16	डॉ० सरोज त्रिपाठी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.03.2017)	(द्वितीय कार्योत्तर) 08.02.2007 (15600-39100+7600)	01.04.2008
17	डॉ० व्ही.डी. मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर	(द्वितीय कार्योत्तर) 14.02.2007 (15600-39100+7600)	14.02.2007
18	डॉ० जी.पी. शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2009)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
19	डॉ० ओ.पी. नगाइच, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2014)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
20	डॉ० भरत कुमार गौर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 28.02.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006

21	डॉ० आर.एन. गौतम, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.01.2013)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
22	डॉ० एल.पी. राय, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला टीकमगढ़ (सेवानिवृत्त 31.03.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
23	डॉ० जी.पी. बिरथरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.05.2009)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
24	डॉ० राजाराम साहू, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला टीकमगढ़ (सेवानिवृत्त 31.03.2012)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
25	डॉ० जी.एस. परिहार, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.07.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
26	डॉ० एस.सी. सोनी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.03.2013)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2007
27	डॉ० आर.एन. गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला टीकमगढ़ (सेवानिवृत्त 29.02.2012)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2008

2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :-


2.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08/16 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि से 08/16 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाय।

2.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

2.3 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

3/ उपरोक्त वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(कलावती उईके)  
अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2020


पृष्ठांकन क्रमांक/757/4208/2019/1/59  
प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,.....। समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में जिन अधिकारियों को समयमान वेतनमान पात्रता दिनांक को स्वीकृत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती दिनांक से स्वीकृत किया गया है उनसे उक्त अवधि में किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।

5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।

- 6- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
- 7- जिला आयुष अधिकारी, .....
- 8- संबंधित डॉ. ....
- 9- आदेश फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //


भोपाल दिनांक 13/03/2020

क्रमांक/758 /4208/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 09/01/2020 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति न करने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने के अनुक्रम में कॉलम 3 में उल्लिखित समयमान वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जाती है:-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान
1	2	3
01	डॉ० ऋषभ कुमार जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला सागर (सेवानिवृत्त 30.11.2009)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
02	डॉ०ओ.पी.नगाइच, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2014)	(द्वितीय नवीन) 14.08.2013 (15600-39100+7600)

2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों को पात्रता दिनांक से उनके सेवानिवृत्त दिनांक तक प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान देने पर समिति द्वारा विचार किया गया। उक्त सभी आयुष चिकित्सा अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर समिति द्वारा प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये हैं। पूर्व में स्वीकृत द्वितीय समयमान वेतनमान की नियमानुसार वसूली की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
12-3-2020  
(कलावती उईके)


अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /759/ 4208 / 2019 / 1 / 59  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/03/2020

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
  - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,..... । इस आदेश के परिप्रेय में समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंधित प्रकरणों में समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये संबंधित अधिकारियों को किये जा रहे अधिक भुगतान को तत्काल रोका जाकर अभी तक किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
  - 6- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
  - 7- जिला आयुष अधिकारी .....
  - 8- संबंधित डॉ.....
  - 9- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अपर सचिव  
म. प्र. शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल  
// आदेश //


भोपाल दिनांक 13/03/2020

क्रमांक/760 /4208 /2019 /1 /59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 09/01/2020 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर इनकी अनुशंसा "परिभ्रमण" में रखी गई है। समुचित प्रस्ताव संचालनालय, आयुष से प्राप्त होंगे तत्समय निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान हेतु समिति विचार करेंगी :-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदनों का वर्ष
1	2	3	4
01	डॉ० आर.एस. ताम्रकार, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.07.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1998, 2000 से 2003, 2006, 2007, 2009, 2012

2/- उपरोक्त वर्षों के अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारी द्वारा समयमान वेतनमान की पात्रता वर्ष से विगत पांच वर्षों एवं पश्चातवर्ती वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन कब-कब, किस अधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। इसकी जानकारी संबंधित सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त की जाकर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही संचालनालय आयुष द्वारा की जाएगी। संचालनालय को गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर समयमान हेतु बैठक के आयोजन के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराए जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(कलाविती उईके)

अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग



पृष्ठांकन क्रमांक /761/4208/2019/1/59  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/03/2020

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।

✓ 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।


5- संभागीय आयुष अधिकारी, .....

6- जिला आयुष अधिकारी .....

7- संबंधित डॉ.....

8- आदेश फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अवर सचिव 12-3-2020

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 13 /03/2020

क्रमांक/762 /4209/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 09.01.2020 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क.	नाम/पदनाम/जिला	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1	डॉ० रघुनंदन जैमिनी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 30.06.2009)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
2	डॉ० बीरबल सिंह कुशवाहा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भिण्ड (सेवानिवृत्त 31.07.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
3	डॉ० अशोक शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.001.2017)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2007
4	डॉ० सुरेश चन्द्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 29.02.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2008
5	डॉ० डी.एस. शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला गुना (सेवानिवृत्त 30.09.2009)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006

6	डॉ० प्रमोद कुमार पांडे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.01.2016)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2012
7	डॉ० महेश चन्द्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.12.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2010
8	डॉ० एस.के. भट्टे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.10.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
9	डॉ० सियाराम शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.12.2015)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
10	डॉ० अवध बिहारी शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 30.06.2015)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2009
11	डॉ० उपेंद्र कुमार गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
12	डॉ० माताप्रसाद स्वर्णकार, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भिण्ड (सेवानिवृत्त 30.09.2017)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2011
13	डॉ० आदित्य नारायण बाजपेयी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भिण्ड (सेवानिवृत्त 31.05.2015)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2011
14	डॉ० एस.बी. सोनी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी	(द्वितीय कार्योत्तर) 19.02.2007 (15600-39100+7600)	19.02.2007
15	डॉ० गयाप्रसाद जैतवार, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर	(द्वितीय कार्योत्तर) 16.04.2007 (15600-39100+7600)	01.04.2011
16	डॉ० सियाशरण रजक, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी जिला भिण्ड (सेवानिवृत्त 30.06.2016)	प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
17	डॉ० रमेश चन्द्र भार्गव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.12.2009)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2009

18	डॉ० श्रीनिवास मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.06.2016)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2009
		(द्वितीय नवीन) 08.08.2013 (15600-39100+7600)	08.08.2013
19	डॉ० जगदीश प्रसाद शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 30.06.2012)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006

2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :-


2.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08/16 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि से 08/16 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाय।

2.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

2.3 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

3/ उपरोक्त वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(कलावती उईके)


अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /763/ 4209 / 2019 / 1 / 59  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13 / 03 / 2020

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
  - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,.....। समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में जिन अधिकारियों को समयमान वेतनमान पात्रता दिनांक को स्वीकृत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती दिनांक से स्वीकृत किया गया है उनसे उक्त अवधि में किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदर्शित करने हेतु।
  - 6- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
  - 7- जिला आयुष अधिकारी .....
  - 8- संबंधित डॉ.....
  - 9- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
12-3-2020

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल  
// आदेश //


भोपाल दिनांक 13/03/2020

कमांक/764/4209/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 09/01/2020 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति न करने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने के अनुक्रम में कॉलम 3 में उल्लिखित समयमान वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जाती है:-

क.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान
1	2	3
1	डॉ० बी.डी. माहौर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला गुना (सेवानिवृत्त 31.08.2006)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
2	डॉ० माताप्रसाद स्वर्णकार, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भिण्ड (सेवानिवृत्त 30.09.2017)	(तृतीय नवीन) 23.06.2017 (37400-67000+8700)
3	डॉ० इन्द्रा शाक्य, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.07.2021)	(द्वितीय कार्योत्तर) 12.03.2007 (15600-39100+7600)
4	डॉ० सियाशरण रजक, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी जिला भिण्ड (सेवानिवृत्त 30.06.2016)	(द्वितीय नवीन) 04.03.2011 (15600-39100+7600)
5	डॉ० नारायण सिंह तोमर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.12.2008)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)

2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों को पात्रता दिनांक से उनके सेवानिवृत्त दिनांक तक प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान देने पर समिति द्वारा विचार किया गया। उक्त सभी आयुष चिकित्सा अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर समिति द्वारा प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये हैं। पूर्व में स्वीकृत द्वितीय समयमान वेतनमान की नियमानुसार वसूली की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(कलावती उईके)

अवर सचिव


म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /765/ 4209 / 2019 / 1 / 59

भोपाल, दिनांक 13/03/2020

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
  - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,.....। इस आदेश के परिप्रेय में समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंधित प्रकरणों में समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये संबंधित अधिकारियों को किये जा रहे अधिक भुगतान को तत्काल रोका जाकर अभी तक किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
  - 6- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
  - 7- जिला आयुष अधिकारी .....
  - 8- संबंधित डॉ.....
  - 9- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
12-3-2020

अपर सचिव  
म. प्र. शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल  
// आदेश //

भोपाल दिनांक 13/03/2020

कमांक/766/4209/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 09/01/2020 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर इनकी अनुशंसा "परिभ्रमण" में रखी गई है। समुचित प्रस्ताव संचालनालय, आयुष से प्राप्त होंगे तत्समय निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान हेतु समिति विचार करेगी :-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदनों का वर्ष
1	2	3	4
1	डॉ० ओ.पी. गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.04.2007)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1998 से 2007
2	डॉ० एम.के. बांझल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 31.07.2008)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995, 2000 से 2002, 2004, 2005, 2007, 2008
3	डॉ० आर.पी. गोस्वामी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला अशोकनगर (सेवानिवृत्त 28.02.2009)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995, 1996, 1999, 2005 से 2009
4	डॉ० बहादुर सिंह रघुवंशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला अशोकनगर (सेवानिवृत्त 31.12.2010)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995, 2000 से 2010
5	डॉ० एच.के. गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.10.2010)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 2000, 2003 से 2010



6	डॉ० आर.पी. शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला अशोकनगर(सेवानिवृत्त 31.08.2009 )	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009
7	डॉ० अशोक शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.001.2017)	(तृतीय नवीन) 01.04.2014 (37400-67000+8700)	वर्षान्त- 1995 से 1999, 2001, 2002, 2010 से 2016
8	डॉ० राधेश्याम दुबे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.07.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1997, 2000 से 2002, 2005 से 2009
9	डॉ० शिवकुमार शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.07.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	1995 से 2002, 2004, 2007, 2010
10	डॉ० अनूप शुक्ला, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 31.12.2015)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2003, 2005 से 2007, 2010, 2011, 2015
		(तृतीय नवीन) 01.07.2014 (37400-67000+8700)	वर्षान्त- 1995 से 2003, 2005 से 2007, 2010, 2011, 2015
11	डॉ० स्वर्णसिंह रघुवंशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला अशोकनगर (सेवानिवृत्त 31.12.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 2000, 2001, 2006, 2009 से 2011
12	डॉ० बलभद्र प्रसाद गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला श्योपुर (सेवानिवृत्त 30.11.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1998, 2000, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012
13	डॉ० एम.एल. मंगल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला गुना (सेवानिवृत्त 28.02.2014)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 1996, 1999 से 2014
14	डॉ० एन.के. गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 30.09.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 1996, 2002, 2004 से 2010

15	डॉ0 सुधाकर पाराशर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 30.06.2014)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2011, 2013, 2014
16	डॉ0 आर.एस. कौरव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.07.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1998, 2000, 2002, 2004, 2007, 2009 से 2011
17	डॉ0 मनोज कुमार श्रीवास्तव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला अशोकनगर (सेवानिवृत्त 31.10.2017)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1997, 2005, 2009, 2015, 2016
		(तृतीय नवीन) 29.04.2017 (37400-67000+8700)	वर्षान्त- 1995 से 1997, 2005, 2009, 2015, 2016
18	डॉ0 रमाशंकर शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 30.06.2016)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1996, 2004 से 2009, 2012, 2015, 2016
19	डॉ0 श्याम प्रकाश श्रीवास्तव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 30.09.2009)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1996 से 2004, 2006, 2007, 2009
20	डॉ0 आर.पी. खरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.07.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 2004 से 2008, 2010, 2011
21	डॉ0 केदारनाथ गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.08.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1999, 2002 से 2004, 2006 से 2008, 2010
22	डॉ0 लालसिंह जादौन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.01.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2000, 2004 से 2008, 2010 से 2012
23	डॉ0 देवीदयाल शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला श्योपुर (सेवानिवृत्त 31.10.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1998, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011


24	डॉ० एस.के. मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 30.09.2017)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2002, 2004, 2005, 2007 से 2016
		(तृतीय नवीन) 23.06.2017 (37400-67000+8700)	वर्षान्त- 1995 से 2002, 2004, 2005, 2007 से 2016
25	डॉ० विश्वनाथ शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भिड़ (सेवानिवृत्त 29.02.2016)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1996, 1999 से 2016
26	डॉ० मुकेश शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी	(द्वितीय कार्योत्तर) 05.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1998, 2002 से 2004, 2007 से 2009, 2012
27	डॉ० डी.के. प्रधान, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 31.07.2017)	(द्वितीय कार्योत्तर) 05.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995, 1996, 1998 से 2001, 2004 से 2009, 2012, 2015
28	डॉ० अरुण पाठक, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर	(द्वितीय कार्योत्तर) 05.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1999, 2004 से 2007, 2011, 2015, 2016
29	डॉ० राजकुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 31.12.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 08.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995, 2000 से 2002, 2004 से 2009, 2012
30	डॉ० एस.एस. त्रिपाठी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 31.08.2015)	(द्वितीय कार्योत्तर) 08.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2002, 2004, 2005, 2007 से 2009, 2012, 2015
31	डॉ० दामोदर प्रसाद शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.07.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 11.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2002, 2004 से 2007
32	डॉ० पी.एस. भार्गव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी	(द्वितीय कार्योत्तर) 16.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1999, 2002, 2004, 2005, 2007, 2014

33	डॉ० भगवती प्रसाद बंसल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला श्योपुर (सेवानिवृत्त 30.09.2015)	(द्वितीय कार्योत्तर) 02.03.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2003, 2006, 2007, 2009 से 2012, 2015
34	डॉ० के.एम. बंसल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.01.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 05.03.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1998, 2000 से 2002, 2004, 2007, 2012
35	डॉ० चन्द्रवती चोपड़ा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर	(द्वितीय कार्योत्तर) 05.03.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2015
36	डॉ० विजय कुमार झिंगन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.01.2014)	(द्वितीय कार्योत्तर) 11.04.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1996, 1998 से 2002, 2004, 2007
37	डॉ० एम.पी. जैन, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.10.2006)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 1997, 2000, 2001, 2004 से 2006
38	डॉ० चतुर्भुज रावत, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला श्योपुर (सेवानिवृत्त 30.08.2010)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995, 1996, 1998 से 2003, 2006 से 2009
39	डॉ० राजेन्द्र पाराशर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 30.06.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 1999, 2001 से 2005, 2007 से 2009
40	डॉ० ओ.एन. सिद्धवानी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी (सेवानिवृत्त 30.10.2013)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1998, 1999, 2002 से 2004, 2006 से 2009, 2012
		(द्वितीय नवीन) 08.08.2013 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1998, 1999, 2002 से 2004, 2006 से 2009, 2012
41	डॉ० कमला कृष्ण शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भिण्ड (सेवानिवृत्त 31.12.2013)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 2004, 2012

42	डॉ० डी.के. जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 30.11.2010)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 2000, 2001, 2002 से 2010
43	डॉ० मदनमोहन राजौरिया, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.07.2010)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1998, 1999, 2001 से 2010
44	डॉ० श्याम कुमार शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला अशोकनगर (सेवानिवृत्त 30.04.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 1999, 2001 से 2011
45	डॉ० सुमनलता त्रिपाठी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला मुरैना (सेवानिवृत्त 31.07.2010)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 2007, 2010
46	डॉ० रमेश चंद्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला ग्वालियर (सेवानिवृत्त 28.02.2007)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995, 2002 से 2004, 2006, 2007

2/- उपरोक्त वर्षों के अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समयमान वेतनमान की पात्रता वर्ष से विगत पांच वर्षों एव पश्चातवर्ती वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन कब-कब, किस अधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। इसकी जानकारी संबंधित सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त की जाकर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही संचालनालय आयुष द्वारा की जाएगी। संचालनालय को गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर समयमान हेतु बैठक के आयोजन के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराए जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
12-3-2020  
(कलावती उईके)

अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /767/ 4209 / 2019 / 1 / 59  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13 / 03 / 2020

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।


5- संभागीय आयुष अधिकारी, .....

6- जिला आयुष अधिकारी .....

7- संबंधित डॉ.....

8- आदेश फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
12-3-2020

अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 13 /03/2020

कमांक/768 /4210/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 09.01.2020 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	नाम/पदनाम/जिला	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1	डॉ० शंकरलाल समाधिया, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.12.2008)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
2	डॉ० अरुण पुरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 30.04.2007)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
3	डॉ० राजमाल पटौदी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.10.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
4	डॉ० जगदीश चन्द्र आर्य, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.03.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2007

5	डॉ० प्रहलाद वाणे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला बुरहानपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006
6	डॉ० बी.एल. गीते, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खंडवा (सेवानिवृत्त 31.10.2015)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2009
7	डॉ० प्रकाश चन्द्र दशोरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 30.04.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2010
8	डॉ० लालाराम श्रीवास्तव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.03.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	31.03.2012
9	डॉ० कुंवरपाल सिंह, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.03.2015)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	31.03.2015
10	डॉ० राकेश राव खानविलकर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (निधन, मार्च-2019)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2016
		(तृतीय नवीन) 24.06.2017 (37400-67000+8700)	24.06.2017
11	डॉ० मर्सरत किदवई, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला बुरहानपुर (निधन 30.11.2016 )	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2009
12	डॉ० दिनेश अवरथी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.01.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 11.02.2007 (15600-39100+7600)	11.02.2007
13	डॉ० सुभाष जोशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.03.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006



14	डॉ० शैलेन्द्र चतुर्वेदी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला बड़वानी (सेवानिवृत्त 30.04.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2010
15	डॉ० प्रकाशिनी जोशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.07.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2007
16	डॉ० बी.डी. शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला झाबुआ (सेवानिवृत्त 30.08.2008)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
17	डॉ० विष्णु शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 30.11.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006
18	डॉ० नेत्रपाल गौतम, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खंडवा (सेवानिवृत्त 31.01.2012)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01.04.2006

2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :-


2.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08/16 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि से 08/16 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाय।

2.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

2.3 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

3/ उपरोक्त वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(कलाषिती उईके) 12-3-2020


अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

भोपाल, दिनांक 13/03/2020

पृष्ठांकन क्रमांक /769/4210/2019/1/59  
प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
  - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,.....। समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में जिन अधिकारियों को समयमान वेतनमान पात्रता दिनांक को स्वीकृत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती दिनांक से स्वीकृत किया गया है उनसे उक्त अवधि में किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।
  - 6- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
  - 7- जिला आयुष अधिकारी .....
  - 8- संबंधित डॉ.....
  - 9- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अवर सचिव 12-3-2020

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल  
// आदेश //

भोपाल दिनांक 13/03/2020


कमांक/770 /4210/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 09/01/2020 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति न करने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने के अनुक्रम में कॉलम 3 में उल्लिखित समयमान वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जाती है:-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान
1	2	3
1	डॉ० नारायण प्रसाद शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 30.04.2008)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
2	डॉ० सुशील कुमार जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 30.04.2007)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
3	डॉ० हरीशंकर अवस्थी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 30.06.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
4	डॉ० गोपाल कृष्ण दुबे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.10.2008)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
5	डॉ० सुभाष जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला धार (सेवानिवृत्त 30.06.2014)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
6	डॉ० अनार सिंह सोलंकी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खंडवा (सेवानिवृत्त 29.02.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
7	डॉ० तेजकुमार जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.01.2008)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)

8	डॉ० एस.सी. कौशल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला बड़वानी (सेवानिवृत्त 31.12.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
9	डॉ० रामचन्द्र माहेश्वरी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 30.04.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
10	डॉ० कैलाश चन्द्र महाजन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.01.2015)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)

2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों को पात्रता दिनांक से उनके सेवानिवृत्त दिनांक तक प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान देने पर समिति द्वारा विचार किया गया। उक्त सभी आयुष चिकित्सा अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर समिति द्वारा प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये हैं। पूर्व में स्वीकृत द्वितीय समयमान वेतनमान की नियमानुसार वसूली की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(कलावती उईके) 12-3-2020  
अवर सचिव


म. प्र. शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/3/2020

पृष्ठांकन क्रमांक 771/4210/2019/1/59  
प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन.....। इस आदेश के परिप्रेय में समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंधित प्रकरणों में समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये संबंधित अधिकारियों को किये जा रहे अधिक भुगतान को तत्काल रोका जाकर अभी तक किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।

5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।

- 6- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
  - 7- जिला आयुष अधिकारी .....
  - 8- संबंधित डॉ.....
  - 9- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अवर सचिव 12-3-2020

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल  
// आदेश //

भोपाल दिनांक 13/03/2020

कमांक/772/4210/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 09/01/2020 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर इनकी अनुशंसा "परिभ्रमण" में रखी गई है। समुचित प्रस्ताव संचालनालय, आयुष से प्राप्त होंगे तत्समय निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान हेतु समिति विचार करेंगी :-


क.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदनों का वर्ष
1	2	3	4
1	डॉ० सीताराम पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 30.06.2008)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1999 से 2007
2	डॉ० यू.सी. जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.12.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 2001, 2002, 2004 से 2009
3	डॉ० शंकरलाल पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 30.11.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1997, 2000 से 2005, 2007
4	डॉ० जियाउद्दीन सिद्धिकी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला इन्दौर (सेवानिवृत्त 30.08.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 2004 से 2012
5	डॉ० मानसिंह चौहान, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 30.06.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1997, 2001, 2002, 2005, 2007
6	डॉ० जे.पी. महाजन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.03.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 2000 से 2002, 2004, 2005, 2007, 2010
7	डॉ० डी.के. उपाध्याय, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.03.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007

8	डॉ० शान्तिलाल गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला झाबुआ (सेवानिवृत्त 30.11.2009)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1998, 2002, 2003, 2007
9	डॉ० प्रवीण पंडित, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 28.02.2021)	(द्वितीय कार्योत्तर) 11.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2012, 2016
10	डॉ० कैलाश चन्द्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 30.06.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 11.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2005, 2007
11	डॉ० एस.सी. गर्ग, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला झाबुआ (निधन 13.02.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 05.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 1997, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010
12	डॉ० प्रेम कुँवर सोलंकी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला धार (सेवानिवृत्त 31.01.2013)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 2002, 2004
		(द्वितीय नवीन) 11.02.2007 (15600-39100+7600)	वर्षान्त- 1995 से 2002, 2004
13	डॉ० श्यामाचरण द्विवेदी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला धार (सेवानिवृत्त 30.11.2009)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 2005, 2007 से 2009
14	डॉ० प्रकाश चन्द्र गुहा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 30.11.2010)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 2002, 2004, 2005, 2007
15	डॉ० सुरेश चन्द्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला बड़वानी (सेवानिवृत्त 30.11.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 1999, 2001, 2002, 2009, 2011
16	डॉ० नटवरलाल जोशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.10.2009)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 2005, 2007, 2008
17	डॉ० मदनलाल कानूनगो, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.10.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1996, 1998 से 2002, 2004, 2005, 2007
18	डॉ० मांगीलाल पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.05.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 2001, 2002, 2004, 2005, 2007
19	डॉ० के.के. केशवरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.08.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 2001, 2002, 2004, 2005, 2007

20	डॉ० स्व. गिरीश चन्द्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.05.2010)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007
21	डॉ० बी.के. पुरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 31.11.2009)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007
22	डॉ० शेख जियाउद्दीन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला खरगोन (सेवानिवृत्त 30.06.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	वर्षान्त- 1995 से 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007

2/- उपरोक्त वर्षों के अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समयमान वेतनमान की पात्रता वर्ष से विगत पांच वर्षों एवं पश्चातवर्ती वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन कब-कब, किस अधिकारी को प्रस्तुत किये गये है। इसकी जानकारी संबंधित सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त की जाकर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही संचालनालय आयुष द्वारा की जाएगी। संचालनालय को गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर समयमान हेतु बैठक के आयोजन के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराए जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(कलावती उईके)  
अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2020

पृष्ठांकन क्रमांक 713/4210/2019/1/59

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
  - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
  - 5- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
  - 6- जिला आयुष अधिकारी .....
  - 7- संबंधित डॉ.....
  - 8- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग